कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल

जिला-शहडोल ४८४००१ (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या–240304) (निवास–241443) (फैक्स–240304) ई–मेल– dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/ 1762 शहडोल, दिनांक :20/7/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल

विषयः– वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र शहडोल के विभिन्न खसरों के रकवा 15.549 हे. राजस्व वनभूमि एवं वनमण्डल उमरिया के परिक्षेत्र घुनघुटी के वन कक्ष RF-227 & PF-779 के रकवा 46.488 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 18.553 हे. राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हे. वनभूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन तथा उपरिसतह उपयोग के व्यपवर्तन का –मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्ती.) का प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/एफ–1/839/2023/10–11/1702 दिनांक 26.04.2023 एवं 2835 दिनांक 06.07.2023.

-☆☆☆-

निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में 19 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी, जिसमें बिन्दु क्रमांक XIV की जानकारी दक्षिण वनमण्डल को संदर्भित पत्र क्रमांक से भेजने हेतु निर्देश दिये गये हैं। दिये गये निर्देशानुसार मौका स्थल की जांच करने हेतु उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर को लेख किया गया।

भारत सरकार के बिन्दु क्रमांक XIV के अनुसार – उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर द्वारा मौका स्थल की जांच दिनांक 03.07.2023 को वन परिक्षेत्राधिकारी शहडोल एवं संबंधित स्टाफ तथा मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड रायपुर के सहायक महाप्रबंधक श्री रजत मल्होत्रा एवं श्री अंकित पटेल की उपस्थिति में किया गया, जिसमें शाहपुर पश्चिम कोल खदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा एवं शहडोल वन परिक्षेत्र के संरक्षित वनखण्ड कठौतिया के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 780 की समीपी मुनारों एवं शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की सीमा लाईन का निरीक्षण किया गया। सीमा लाईन से समीपी मुनारा क्रमाक 03 की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई, जो N-23^{0}14'18.8" E-81^{0}18'40.4" है। जांच उपरान्त प्रतिवेदन अपने पत्र क्रमांक/2229 दिनांक 11.07.2023 से अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। मौका निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार तथ्य पाये गये :–

1. वन विभाग के ऑनलाईन नक्शे एवं वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 780 की मौके की सीमा लाईन की जांच करने पर ऑनलाईन नक्शे में प्रदर्शित सीमा मौके पर स्थित मुनारा क्रमांक 03 एवं खोदी गई सी.पी.टी. से लगभग 120 मीटर उत्तर दिशा की ओर दर्शित हो रहा है जो राजस्व की भूमि है।
2. मौके पर शाहपुर पश्चिम कोल खदान की सीमा के समीपी पिलर क्रमांक पी. 51 की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई, जो N-23^{0}14'19.7" E-81^{0}18'41.1" है। शाहपुर पश्चिम कोल ब्लाक की के.एम.एल. से मिलान किया गया। मिलान अनुसार जी.पी.एस. रीडिंग मौके पर यथास्थिति पाई गई।
3. शहडोल वन परिक्षेत्र के संरक्षित वनखण्ड क्रमांक पी.एफ. 780 जो कि वन विभाग के ऑनलाईन नक्शे में शाहपुर पश्चिम कोल खदान की दक्षिण पूर्वी सीमा के अन्दर दिखाई दे रहा है, परन्तु मौके पर कोल खदान की सीमा से

25 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः शाहपुर पश्चिम कोल खदान की लीज सीमा के बाहर है, जिसे वन मानचित्र 1:12500 के स्केल में मार्क किया गया।

4. शाहपुर पश्चिम कोल खदान की शहडोल वन परिक्षेत्र की दक्षिण पूर्वी सीमा का मिलान मध्यप्रदेश शासन के किसान एप से भी किया गया। मौके के अनुसार शहडोल पश्चिम कोल खदान की यह सीमा ग्राम कठौतिया के राजस्व खसरा नम्बर 234, 233, 464, 232, 231 एवं 230 पर स्थित पायी गई।

भारत सरकार के बिन्दु क्रमांक VIII के अनुसार– शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन के उपरिसतह में रकवा 7.136 हे. के स्थान पर 0.895 हे. वनभूमि रोड हेतु खड़े वृक्षों की गणना कर इसके 10 गुना या 100 वृक्ष जो भी अधिक हों, की रोपण योजना बिगड़े वनक्षेत्र में तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित तथा 0.895 हे. क्षेत्र में खड़े वृक्षों को ही पार्ट 2 में आनलाइन प्रविष्टियां करने हेतु आपके पत्र क्रमांक/एफ–1/839/2023/10–11/ 2835 दिनांक 06.07.2023 से जानकारी भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु कुल रकवा 619 हे. में से 80.590 हे. वन भूमि/राजस्व वन भूमि प्रस्तावित है, जिसमें वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अंतर्गत 15.549 हे. राजस्व वनभूमि प्रस्तावित है, जिसका पूर्ण रकवा भूमिगत कोल माईन्स में सम्मिलित है, शेष रकवा वनमंडल उमरिया के अन्तर्गत है। परियोजना में ऊपरी सतह हेतु 0.895 हे. वनभूमि रोड हेतु प्रस्तावित है, जो कि वनमण्डल दक्षिण शहडोल अन्तर्गत नहीं है। वनमण्डल दक्षिण शहडोल में प्रस्तावित 15.549 हे. राजस्व वनभूमि में कुल 105 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के ऊपरी तल में खड़े पाये गये थे, जिन्हें पूर्व में गणना कर ऑनलाईन पार्ट–2 में अपलोड किया गया था। जारी निर्देशानुसार पूर्व में ऑनलाईन अपलोड 105 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को पार्ट 2 से पृथक कर दिया गया है तथा उक्त वृक्ष ऊपरी सतह में मौजूद होने के कारण गणना कराई गई है, परन्तु भूमिगत कोल माईन्स होने के कारण वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित नहीं है। भारत सरकार द्वारा 19 बिन्दुओं में से आवेदक संस्थान से संबंधित जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा आनलाइन अपलोड कर अपने पत्र क्रमांक/5455 दिनांक 30.06.2023 से आपकी ओर प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी भेजी गई है।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा चाही गई बिन्दु क्रमांक **XIV** एवं बिन्दु क्रमांक **VIII** जानकारी तैयार कर आनलाइन अपलोड कर प्रतिवेदन सूचनार्थ संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/ 1763 — शहडोल, दिनांक : 20/7/**2023**

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर (छत्ती.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल दक्षिण शहडोल

D:\YEAR 2023\VM\LATTER DM 2023.docx382 veerendra mishra 12:22PM 18.06.2023